राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / गुणवत्ता / कला उत्सव / 2018 / 6475 दिनांक : 14/9/18

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रामाशिअ., समस्त जिलें।

विषय– कला उत्सव सत्र 2018–19 हेतु दिशा–निर्देश।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2018–19 के लिये PAB अनुमोदित कला उत्सव के रूप में नवाचारी गतिविधि के आयोजन का प्रावधान है जिसके लिये वार्षिक योजना में जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन हेतु 10.00 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है।

इस गतिविधि को आयोजित करने के लिये निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

- यह गतिविधि विद्यालय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जायेगी।
- कला उत्सव के प्रत्येक स्तर पर **गायन, नृत्य, नाटक व दृश्य कला** इन चार विधाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा।
- प्रत्येक कला क्षेत्र की एक टीम में निम्न प्रकार से **कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी** शामिल हो सकेंगे–
  दृश्य कला 4–6 विद्यार्थी
  संगीत 6–10 विद्यार्थी
  नृत्य 8–10 विद्यार्थी
  नाट्यकला 8–12 विद्यार्थी
- विद्यालय स्तर पर उत्सवों के आयोजन दिनांक 17–22 सितम्बर के मध्य (एक दिवसीय) तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- विद्यालय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूचना दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा) को भिजवा दी जायेगी।
- जिला स्तर पर कला उत्सवों का आयोजन दिनांक 5–9 अक्टूबर 2018 के मध्य (एक या दो दिवस) किया जायेगा।
- जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ का चयन कर दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा।
- राज्य स्तर पर कला उत्सवों का आयोजन 25 से 30 अक्टूबर 2018 के मध्य (दो दिवस) किया जायेगा। आयोजन स्थान एवं तिथि के विषय में पृथक से सूचना प्रेषित कर दी जावेगी। दूरस्थ जिलों के सहभागियों की समय पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।
- राज्य स्तर पर कला उत्सव आयोजन के इच्छुक जिला अपने जिले का नाम परिषद को 30 सितम्बर तक भिजवावें।
- राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव का आयोजन माह नवम्बर–दिसम्बर 2018 के मध्य किया जायेगा।

<u>वित्तीय प्रावधानः–</u>

A. विद्यालय स्तर

- विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के आयोजन का खर्च एस. डी. एम. सी. के माध्यम से जन सहयोग से किया जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्रवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीम को क्रमशः 250 रू., 150 रू. व 100 रू. राशि का पुरस्कार दिया जायेगा।

www.rajteachers.com

B. जिला स्तर

- जिला स्तर पर प्रत्येक जिले को Rs. 21,200 रू. का बजट अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ, को आवंटित किया जायेगा। जिसमें से दिये गये प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थाओं पर व्यय किया जायेगा।
- विद्यार्थी संभागियों के आने–जाने का वास्तविक किराया व भोजन–जलपान का व्यय खेलकूद प्रतियोगिताओं के विभागीय प्रावधानों अनुसार विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष से देय होगा।
- संभागियों को आयोजन स्थल तक आने व वापिस जाने हेतु रेलवे व राजस्थान पथ परिवहन निगम से रियायती दरों पर यात्रा की व्यवस्था की जावे। समय पूर्व आरक्षण करवाकर सुविधा का लाभ सुनिश्चित करें।
- शिक्षको के आने–जाने का व्यय विभागीय नियमानुसार विद्यालय से देय होगा।

जिला स्तरीय वित्तीय प्रावधान

क.स.	विवरण	राशि
1.	पुरस्कार	प्रथम – 250 रू / प्रति संभागी द्वितीय – 150रू /प्रति संभागी तृतीय – 100रू / प्रति संभागी दृश्य–4, संगीत–6, नृत्य–10, नाट्क–10 (500x30 = 15000/-)
2.	मंच/बैठक, लाईट, माइक व्यवस्था व अन्य	अधिकतम 4000 रू
3.	कन्टिजैन्सी , फोटोग्राफी अभिलेख संधारण, प्रचार – प्रसार, बैनर	अधिकतम 2200 रू
	कुल योग	**21200/–**

- जिला स्तर पर आयोजन पश्चात् शेष बची राशि राज्य कार्यालय को सूचित करते हुए 7 दिवस में जमा करावें, जिससे उसे राज्य स्तरीय आयोजन में उपयोग किया जा सके।
- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले व्यय आवंटित राशि से अधिक होने की स्थिति में भामाशाहों का सहयोग लिया जावे।

C. राज्य स्तर

- राज्य स्तर पर आयोजन हेतु 3,00,400 /–रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।
- राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले व्यय आवंटित राशि से अधिक होने की स्थिति में भामाशाहों का सहयोग लिया जावे।

निर्णायक मण्डल

1. विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में 03 सदस्यीय निर्णायक मण्डल में संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक महिला शिक्षक एवं एस.डी.एम.सी. की सहमति से एक कला विशेषज्ञ को शामिल किया जायेगा।
2. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन होगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं कला क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा।
3. राज्य स्तर पर 07 सदस्यीय निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :–
   - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (आयोजक जिला) — अध्यक्ष
   - जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. (आयोजक जिला) — सदस्य
   - प्रतिनिधि RSCERT उदयपुर — सदस्य
   - राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ — सदस्य (04)
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की सहमति से सभी प्रतियोगी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ होंगे।

www.rajteachers.com

प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश

गायन एवं नृत्य :–

- ✓ विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए कि अपने परिवार में चर्चा कर प्राथमिकता से कोई स्थानीय गीत या नृत्य प्रस्तुत करें।
- ✓ गायन एवं नृत्य में वाद्य यंत्रों के लिए स्थानीय कला संघों या समितियों या मण्डलों का सहयोग लिया जाए।
- ✓ गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में ऐसे गीत गानो, या नृत्यों का प्रयोग किया जाए जो परिवारों के साथ बैठकर गाए या सुने जा सकें।
- ✓ गायन या नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों को अभ्यास का अवसर दिया जाए।
- ✓ समय–समय पर उन्हें कक्षा कक्ष एवं प्रार्थना सभा में गाने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उन्हें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं के सामने गाने का अभ्यास मिले।
- ✓ पाठयक्रम में जहां कही भी गायन का अवसर मिले उसका सदुपयोग किया जाए एवं बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को उभारने का अवसर दिया जाए।
- ✓ बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी स्थिति में विद्यालय समय के पश्चात कला का अभ्यास विद्यालय परिसर में नहीं किया जायेगा।

नाटक :–

- ✓ बच्चों को प्रेरित करें कि पाठ्यक्रम में किसी विषय पर नाटक का अभ्यास करें।
- ✓ यह सुनिश्चित करें कि नाटक की विषयवस्तु या संवाद किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के सम्मान एवं भावना के खिलाफ ना हो।
- ✓ नाटक परिवार के साथ बैठकर देखें जा सके, ऐसी श्रेणी के हों।
- ✓ नाटक के अभ्यास के लिए बच्चों को शिक्षक विवेकानुसार अवसर दें।
- ✓ नाटक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का संकलन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा।
- ✓ विद्यालय समय–समय पर बच्चों को बड़ी सभा में अपने नाटक की प्रस्तुति करने का अवसर दें।

दृश्य कला :–

- ✓ दृश्य कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला को शामिल किया जायेगा।
- ✓ इनमें द्विआयामी (2D) (ड्राईंग–पेंटिंग) या त्रिआयामी 3D (मूर्तिकला, टेराकोटा) शामिल होंगी।

सामान्य दिशा निर्देश

- ✓ संगीत, नृत्य, नाटक एवं दृश्य कला पर वर्ष पर्यन्त कक्षा शिक्षण एवं अन्य आयोजनों के दौरान कार्य किया जाएगा।
- ✓ विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए यथासंभव जन सहयोग लिया जाए तथा भामाशाहों से संपर्क किया जाए।
- ✓ प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सहभागिता का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। चयनित टीम को पुरस्कार राशि के साथ विद्यालय हेतु प्रतीक चिन्हन भी दिया जाएगा।
- ✓ स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठन से सहयोग लिया जा सकता है जो सामाजिक विकास में कला पक्ष पर कार्य कर रहे हैं।
- ✓ जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठन या कला संगठन जो विभिन्न कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, का सहयोग लिया जा सकता है।
- ✓ राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजन हेतु राजस्थान संगीत कला अकादमी जैसे संस्थाओं का सहयोग लिया जावे तथा कला के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों का सहयोग लिया जावे।

www.rajteachers.com

✓ जिला स्तरीय विजेता टीम राज्य स्तरीय सहभागिता हेतु समय पर रियायती यात्रा सुविधा की व्यवस्था की जावे।

✓ राज्य स्तरीय विजेता टीम राष्ट्रीय कला उत्सव में सहभागिता हेतु रियायती यात्रा एवं आरक्षण की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा (समस्त)।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि कला उत्सव सत्र 2018–19 के दिशा–निर्देश पोर्टल पर अपलोड कराये।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप, समस्त जिले।
7. कार्यालय प्रति।

www.rajteachers.com

राज्य परियोजना निदेशक